नीलाम

सुन्दरलाल

24/6 पत्रावली में मय कोर्ट फीस खेती में पेश हुई। वादी व गवाह व प्रति. नीरज, पुनीराम, उदयराम उपस्थित। उपस्थित प्रतिवादीगण ने बयान में स्वीकार किया कि बयानामा दिनांक 4-8-2007 के अनुसार बयानामा में दर्ज प्रतिवादीगण ने वादी का विवादित आ.क्षे.नं. हाल 4880 रकबा 0.29 है का पांच आना का बेचान किया था जो एही ही प्रति.-1 से 3 ने गलत कब्जा मान चढ़ाया है का खारिज योग्य है वादी की विवादित आराजी के पांच आना पर कब्जा का हक है उभयपक्ष उत्तरवार्ता के पश्चात व लिखित के अवलोकन के पश्चात वादी का वाद डिक्री किया जाता है विवादित आराजी क्र.नं. 4880 रकबा 0.29 हेक्टे. वाके ग्राम खेती खुर्द के प्रति.1 से 10 का जो अंकन है उसे मलगजन किया जावे तथा 4/5 हिस्से पर वादी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है वादी का 4/5 हिस्से में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली नकल से कमेटी वाद तकमील खारिज दफ्तर की जावे। निर्णय मय कोर्ट में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

प्रपत्र 5

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) बच्चेरी खुर्द

पीठासीन अधिकारी :– बलवन्त सिंह तेजी RAS

उनवान

रामसिंह बनाम गुलाबचन्द वगैरा

दावा बाबत इस्तकरार हुकूमती इन्द्राज, हुक्म इम्तनाई दखली

मुकदमा नम्बर :– 175/04-08-2015

निर्णय दिनांक :– 24-06-2016

वादी की ओर से वादी वकील की व प्रतिवादी की ओर से श्री चन्द वगैरा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 24-06-2016 को बलवन्त सिंह तेजी (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि – आराजी ख.नं. 488 रकबा 0.29 है. वाकेआम मौजा बच्चेरी खुर्द तहसील कोटकासिम जिला अलवर राज. का 4/5 हिस्सा पर वादी को मुताबिक बयानात 4-8-2000 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रति. 1 से 10 का नाम 1/5 हिस्से तक कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रा. नम्बर से कम होकर बाद तकमील दफा 164 इन्तकाल भी जाबता निर्णय कैम्प कोर्ट में लिखाया जाकर हुआ माना गया।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 24-06-2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(बलवन्त सिंह तेजी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ..... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Scanned by CamScanner